B.C.S. GOVT. P.G. COLLEGE,

DHAMTARI (C.G.)

Jodhapur Ward, Dhamtari (C.G.) 493773
Email : pgcollege.dhamtari@gmail.Com, Website : http://bcspgcdmt.com

3rd CYCLE NAAC ACCREDITATION 2021

CRITERION -5

Student Support and Progression

Key Indicator- 5.4 Alumni Engagement

Certificate of Registration

Submitted to

THE NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

प्रारूप – एक

(नियम 3 देखिये)

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए सोसाइटी का ज्ञापन

01. सोसाइटी का नाम :– **Alumni Association B.C.S.Govt P.G.College Dhamtari (C.G.)**
एल्यूमनी एसोसिएशन **बी.सी.एस.शासकीय** स्नातकोत्तर महाविद्यालय, **धमतरी (छ.ग.)**

02. **सोसाइटी का प्रधान कार्यालय** :– **बी.सी.एस.शासकीय** स्नातकोत्तर महाविद्यालय, **धमतरी (छ.ग.)**, तहसील – धमतरी, जिला – धमतरी में स्थित होगा और इसका पता – जोधापुर वार्ड, पंचवटी कॉलोनी के पास, धमतरी (छ.ग.) होगा ।

03. सोसाइटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :–

(1) महाविद्यालय के अधोसंरचना के विकास के लिए महाविद्यालय के भूतपूर्व विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना ।

(2) महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ।

(3) महाविद्यालय के भूतपूर्व विद्यार्थियों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित करना ।

(4) महाविद्यालय में खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना ।

(5) स्कॉलरशिप फंड की स्थापना व प्रबंध करना व जरूरतमंद छात्रों को प्रदान करना ।

(6) छात्रों में जागरूकता व स्वालम्बन हेतु प्रोद्योगिक व विभिन्न व्यवसाय के लिये कार्यशाला बुलाना ।

(7) भूतपूर्व छात्रों व वर्तमान छात्रों की जरूरत पर शिक्षण कार्यों में मदद करना व सुझाव देना ।

04. सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध, सोसाइटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, परिशद, संचालकों, समिति या शास.निकाय को सौंपा गया हैं, जिनके नाम, पता तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिश्ट की गई हैं।

क्रमांक	नाम	पूर्ण पता	उपजीविका
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डॉ.जे.एस.खालसा	डाक बंगला वार्ड, रत्नाबांधा धमतरी (छ0ग0)	नेत्ररोग विशेषज्ञ शास. चिकित्सालय धमतरी
2	श्री शरद कुमार चौबे	54, मैत्री विहार कालोनी धमतरी (छ0ग0)	राईसमिल संचालक
3	श्री नीलेश लुनिया	सदर बाजार धमतरी (छ0ग0)	सराफा व्यापारी
4	श्री अशोक पवार	मराठापारा धमतरी (छ0ग0)	प्राचार्य नत्थूजी जगताप न.पा.हा.से.स्कूल धमतरी
5	श्री चेतन हिन्दूजा	शास्त्री चौक धमतरी (छ0ग0)	होटल व्यवसाय
6	श्री सलज अग्रवाल	नटराज ट्रेक्टर्स बस्तर रोड धमतरी (छ0ग0)	ट्रेक्टर्स व्यवसाय
7	जयप्रकाश अग्रवाल (सी0ए0)	आमापारा वार्ड धमतरी (छ0ग0)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

05. छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन 1973) की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसाइटी के विनियम का सम्यक रूप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठा ज्ञापन के साथ फाइल की गई हैं । हम विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे गये हैं, उपरोक्त प्रतिष्ठान ज्ञापन के अनुसरण में सोसाइटी बनाने के इच्छुक हैं और नीचे दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

क्र0 (1)	नाम (2)	अभिदाताओं का नाम तथा पूर्ण पता, पिता/पति के नाम सहित पिता/पति का नाम (3)	पूर्ण पता ग्राम/मोहल्ला/वार्ड तह. जिला (4)	हस्ताक्षर (4)
1	डॉ.जे.एस.खालसा	स्व.श्री कुलदीप सिंह खालसा	डाक बंगला वार्ड, रत्नाबांधा रोड धमतरी (छ0ग0)	
2	श्री शरद कुमार चौबे	स्व.श्री नंदूलाल चौबे	54, मैत्री विहार कालोनी धमतरी (छ0ग0)	
3	श्री नीलेश लुनिया	श्री मूलचंद जैन	सदर बाजार कचहरी चौक धमतरी (छ0ग0)	
4	श्री अशोक पवार	स्व.श्री आपा साहेब पवार	सदर बाजार जनार्दन होटल के पास धमतरी (छ0ग0)	
5	श्री चेतन हिन्दूजा	श्री लक्ष्मणलाल हिन्दूजा	रिसाईपारा पश्चिम गायत्री मंदिर रोड धमतरी	
6	श्री सलज अग्रवाल	स्व.श्री केदारनाथ अग्रवाल	नटराज ट्रेक्टर्स बस्तर रोड धमतरी (छ0ग0)	
7	जयप्रकाश अग्रवाल (सी0ए0)	स्व.श्री गिरधारीलाल अग्रवाल	आमापारा वार्ड धमतरी (छ0ग0)	

तारीख .....

प्रति,

सोसाइटियों का रजिस्ट्रार

.....

.....

साक्षी

हस्ताक्षर.....

नाम.....पिता.....

पूर्ण पता.....

.....

.....

नियमावली

01. **सोसाइटी का नाम** :– **Alumni Association B.C.S.Govt. P.G.College Dhamtari (C.G.)**
एल्यूमनी एसोसिएशन **बी.सी.एस.शासकीय** स्नातकोत्तर महाविद्यालय, **धमतरी (छ.ग.)**

02. **सोसाइटी का प्रधान कार्यालय** :– **बी.सी.एस.शासकीय** स्नातकोत्तर महाविद्यालय, **धमतरी (छ.ग.)**,
मोहल्ले का नाम – जोधापुर वार्ड, तहसील–धमतरी, जिला–धमतरी (छ.ग.) होगा ।

03. संस्था का कार्यक्षेत्र :– धमतरी जिला छत्तीसगढ़ होगा ।

04. **संस्था का उद्देश्य** :–

(1) महाविद्यालय के अधोसंरचना के विकास के लिए महाविद्यालय के भूतपूर्व विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना ।
(2) महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना
(3) महाविद्यालय के भूतपूर्व विद्यार्थियों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित करना ।
(4) महाविद्यालय में खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना ।
(5) स्कॉलरशिप फंड की स्थापना व प्रबंध करना व जरूरतमंद छात्रों को प्रदान करना ।
(6) छात्रों में जागरूकता व स्वालम्बन हेतु प्रोद्योगिक व विभिन्न व्यवसाय के लिये कार्यशाला बुलाना ।
(7) भूतपूर्व छात्रों व वर्तमान छात्रों की जरूरत पर शिक्षण कार्यो में मदद करना व सुझाव देना ।

05. **सदस्यता** :– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे ;

(अ) **संरक्षण सदस्य** : संस्था को जो व्यक्ति, दान के रूप में रूपये **21000.00 (अक्षरी इक्कीस हजार रूपये)** या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किष्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

(ब) **आजीवन सदस्य** : जो व्यक्ति संस्था में दान के रूप में रूपये **11000.00** (अक्षरी ग्यारह हजार रूपया) या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा, कोई भी आजीवन सदस्य रूपये **10000.00 (अक्षरी दस हजार रूपये)** या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है ।

(स) **साधारण सदस्य** : जो व्यक्ति 100.00 (अक्षरी सौ रूपये) मासिक रूपये अर्थात 1200.00 (बारह सौ रूपये) प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा, साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था को नया आवेदन पत्र एवं बकाया चंदा की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

(द) **सम्मानीय सदस्य** : संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझें सम्मानीय सदस्य बना सकती हैं ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा ।

06. **सदस्यता की प्राप्ति** :– प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा, ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

07. **सदस्यों की योग्यता** :– संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्तियों में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए ।

(1) आयु 18 वर्ष से कम ना हो । (2) भारतीय नागरिक हो ।
(3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो
(4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो
(5) बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का भूतपूर्व नियमित छात्र रहा हो ।

08. **सदस्यता की समाप्ति** :– संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :–

(1) मृत्यु हो जाने पर (2) पागल हो जाने पर
(3) संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर,
(4) त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर,
(5) चरित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी ।

09. **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे** :–

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय महाविद्यालय में नियमित अध्ययन की अवधि
(2) वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नंबर
(3) वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो
(4) सदस्यों के हस्ताक्षर

10. (अ) **साधारण सभा** :– साधारण सभा के नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे. साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह मई तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों को विधिवत निर्वाचन किया जावेगा यदि निर्धारित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा ।

10. (ब) **प्रबंधकारिणी सभा** :– प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता हैं तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी ।

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य** :–

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।

(ख) संस्था की स्थाई व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।

(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।

(छ) बजट का अनुमोदन करना ।

12. **प्रबंधकारिणी का गठन** :– नियम 5 (अ, ब, स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा ।

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल** :– प्रबंध समिति का कार्यकाल **(03) तीन वर्ष** होगा । समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, कार्य करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

14. **प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य** :–

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ हैं उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।

(ब) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल–अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाए ।

(च) संस्था की समस्त चल–अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना क्रय–विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अंतरित नहीं की जाएगी ।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

15. **अध्यक्ष के अधिकार** :– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार** :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंध कारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

17. **सचिव (मंत्री) के अधिकार** :–

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना ।

(2) समिति की आय व्यय का लेखा–जोखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना, उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 25000/– अक्षरी पच्चीस हजार रूपये व्यय करने का अधिकार होगा ।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार** :– सचिव के अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा ।

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार** :– समिति के धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

20. **बैंक खाता** :– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी । धन का आहरण अध्यक्ष तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों में से होगा । दैनिक व्यय हेतु सचिव के पास अधिकतम रूपये 1,00,000/– **अक्षरी एक लाख** रूपया रहेंगे ।

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** :– अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय नियत शुल्क के साथ भेजेगी ।

22. **संशोधन** :– संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगी जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा । संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय नियत शुल्क के साथ भेजेगी ।

23. **विघटन** :– संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा । विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

24. **सम्पत्ति** :– संस्था की समस्त चल–अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना क्रय–विक्रय, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क का एवं निर्धारित प्रारूप पर आवेदन संस्था द्वारा जमा की जायेगी ।

25. **बैंक खाता** :– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्टआफिस में खोला एवं समय समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी ।

26. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना** :– संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

27. **विवाद** :– संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा, यदि इस निश्चय या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे । रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

00..00